न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2022

मदन पुत्र बोदू जाति मीना निवासी नया टीला बोरखण्डी तहसील पीपलू जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री नवल किशोर पारीक – वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1)

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात जो कि ग्राम नाईखेडा के तहसील केकड़ी जिला अजमेर कि है जिसकी जमावंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या नया–पुराना 332–219 के खसरा नंबर 1158/866 रकवा 0.32 किस्म नहरी 2 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र मे बताया कि प्रार्थी अपने खातेदारी खसरा नं 1158/866 रकवा 0.32है. खातेदारी भूमि में पहुंच मार्ग केकड़ी से देवली पुराना कोटा रोड से सिवायचक भूमि खसरा नं. 864 रकवा 0.29 किस्म बारानी. 1 मे से अपने खेत पर आने जाने के लिए रास्ता काम मे ले रहे है। प्रार्थी के खेत पर आने–जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता केकड़ी से देवली पुराना कोटा रोड से सिवायचक खसरा 864 किस्म बारानी 1 मे से लिया जा रहा जो निकटतम दूरी का रास्ता है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ । जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 12.3.22 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट लोक अदालत के दौरान ही पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

ग्राम नाईखेडा व. खातेदारी खसरा नं 1158/866 रकवा 0.32है. प्रार्थी मदन पुत्र बौदू कौम मीना सा. नयाटीला बोरखण्डी टोंक के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने खसरा नं 864 सिवायचक भूमि मे से अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता चाहा है प्रार्थी के खेत पर आने जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता केकड़ी से देवली पुराना कोटा रोड से सिवायचक खसरा 864 किस्म बारानी 1 मे से आने जाने हेतु काम मे लिया जा रहा है। जो निकटतम दूरी का रास्ता है अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchali
Date: 2022.04.06 10:35:21 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थी द्वारा सिवायचक भूमि खसरा नं 864 किस्म बारानी 1 मे से 30फीट चौडा रास्ता प्रयोग मे लिया जा रहा है प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा कराने हेतु सहमत है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि सिवायचक(सरकारी) भूमि मे है एवं प्रार्थी प्रतिकर राशि जमा कराने हेतु सहमत है रास्ते मे पडने वाली भूमि 8x9.14=73.12वर्गमीटर है वर्तमान डी.एल.सी दर 271188प्रति हैक्टर है रास्ते मे पडने वाली भूमि की किमत 1982.92रूपये की दुगुनी राशि 3966रूपये प्रतिकर राशि बनती है प्रार्थी रास्ते हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष मे जमा कराने हेतु तैयार है

बरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया । प्रार्थी की आराजी संख्या 1158/866 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता केकडी से देवली पुराना कोटा रोड से सिवायचक खसरा 864 किस्म बारानी 1 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी खसरा नंबर 864 की 8x9.14=73.12वर्गमीटर भूमि उपयोग मे आ रही है। नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। सिवायचक(सरकारी) भूमि के आराजी खसरा नम्बर 864 की 8x9.14=73.12वर्गमीटर भूमि उपयोग मे आ रही है। उक्त सिवायचक भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 271188 प्रति है. है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने जाने वाली भूमि के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर से मालीयत 1982.92/– रूपये होती है। जिसकी दुगनी राशि 3966/– रूपये प्रार्थी, अप्रार्थी को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नम्बर 864 में से सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेंतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थी से उक्त 3966/– राशि प्रार्थी से वसूल कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम नाईखेडा की आराजी खसरा नम्बर 1158/866 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को खुले न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner